जेपीआर 5–659

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा न0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008

फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803

ईमेल – c_comml@yahoo.com

क0 जेपीडी/अधी.अ./वा0/पत्रा.एफ.1(13)पार्ट–चतुर्थ/प्रे0 1357 जयपुर, दिनांक 04.09.2012

आदेश

विषय – राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13(1)प्र0सं0/सन0/अनु–1/2012/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 18.07.2012 के अनुसार "राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 को दिनांक 01 अगस्त, 2012 से राज्य मे प्रवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अधिनियम, अधिनियम की धारा–3 के तहत सुनवाई स्तर एवं सुनवाई अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी पुनरीक्षण अधिकारी, 15 दिवस सुनवाई की नियत समय सीमा और परिवाद पर लिये गये निर्णय की संसूचना परिवादी को दिये जाने हतु 7 दिवस की समय सीमा नियत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2012 के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रथम अपील के निस्तारण हेतु अधिकतम 21 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाई जा चुकी है।"

अधिनियम प्रयोजना के संचालन हेतु नियम भी दिनांक 7 जून 2012 के गजट मे प्रकाशित कर जारी कर दिये गये हैं। उक्त सभी अधिसूचनाए, अधिनियम, नियम एवं फार्म आदि राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग की वैबसाईट पर भी जारी कर दिये गये हैं। आवश्यकता अनुसार इनकी प्रतियां राजस्थान सरकार की वैबसाईट www.rajasthan.gov.in "http://www.ard.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार की वेबसाइट से अधिनियम, नियम एवं संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्राप्त कर अधिनियम की प्रभावी रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(एस0 सी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

d/joshi/letters hindi